आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 05 of 2019

Dist.:- Patna.

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Sri Santosh Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar, Patna. - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner : Sri Ram chandra Sahani, Advocate.
For the OP :

ORDER

31.05.2019

प्रस्तुत सेवा अपील वाद सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक– 2249 दिनांक– 18.02.2019 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है। श्री संतोष कुमार, सहायक, वरीयता क्रमांक–44 (भाग–3) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध संचिका उपस्थापित करते समय तथ्यों का भ्रामक ढंग से प्रस्तुत करने, स्पष्ट प्रस्ताव नहीं देने के प्रतिवेदित आरोप के लिए ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0– 327 सहपठित ज्ञापांक– 1177 दिनांक– 02.06.2017 द्वारा अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोप के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0– 370 दिनांक– 06.10.2017 द्वारा श्री संतोष कुमार के विरूद्ध तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित की गयी।

ग्रामीण कार्य विभाग के उक्त दंड जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के अन्तर्गत वृहत शास्ति की श्रेणी में वर्गीकृत है को तत्कालीन कार्मिक एवं

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना सं0– 2940 दिनांक– 19.05.2008 के कंडिका–2 के प्रावधान के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 14905 दिनांक– 24.11.2017 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के दंडादेश सं0– 370 दिनांक– 06.10.2017 को निरस्त किया गया तथा ग्रामीण कार्य विभाग से श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उक्त निदेश के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग ने पत्रांक– 309 दिनांक– 16.02.2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया तथा पत्रांक– 17.09.2018 से श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, श्री कुमार का बचाव अभिकथन एवं आरोप से संबंधित मामले में मुख्य सचिव का आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा श्री कुमार के लिखित बचाव अभिकथन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा गहन समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को प्रमाणित आरोप के लिए 'चेतावनी' एवं एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(v) के संगत प्रावधान के आलोक में श्री संतोष कुमार, सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग को 'चेतावनी' एवं एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड संसूचित एवं अधिरोपित किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग का मंतव्य

श्री संतोष कुमार, सहायक, वरीयता क्रमांक–44 (भाग–3) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध संचिका उपस्थापित करते समय तथ्यों का भ्रामक ढंग से प्रस्तुत करने, स्पष्ट प्रस्ताव नहीं देने के प्रतिवेदित आरोप के लिए ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0– 327 सहपठित ज्ञापांक– 1177 दिनांक– 02.06.2017 द्वारा अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय कार्यवाही

ादेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

संचालित की गयी। संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोप के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0– 370 दिनांक– 06.10.2017 द्वारा श्री संतोष कुमार के विरूद्ध तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित की गयी।

ग्रामीण कार्य विभाग के उक्त दंड जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के अन्तर्गत वृहत शास्ति की श्रेणी में वर्गीकृत है को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना सं0– 2940 दिनांक– 19.05.2008 के कंडिका–2 के प्रावधान के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 14905 दिनांक– 24.11.2017 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के दंडादेश सं0– 370 दिनांक– 06.10.2017 को निरस्त किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग को परामर्श दिया गया कि यदि आरोपित सहायक को कृत्य वृहद दंड के उपयुक्त प्रतीत होता है तो प्रशासी विभाग विहित प्रपत्र–'क' में आरोप पत्र गठित कर समुचित अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ उपलग्ध करावें।

उक्त परामर्श के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग ने पत्रांक– 309 दिनांक– 16.02.2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया तथा पत्रांक– 2327 दिनांक– 17.09.2018 से श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, श्री कुमार का बचाव अभिकथन एवं आरोप से संबंधित मामले में मुख्य सचिव का जाँच प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार श्री कुमार के विरूद्ध आरोप था कि ***"सी0डब्लू0जे0सी सं0–16306/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक– 05.02.2016 को पारित आदेश की प्रति विभाग में दिनांक– 25.02.2016 को प्राप्त हुई, के सम्मुख पृष्ठ पर सचिव द्वारा अनुपालन हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने एवं संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का वृतादेश अंकित होने के बावजूद श्री कुमार द्वारा संचिका उपस्थापित करते समय तथ्यों का भ्रामक ढंग से प्रस्तुत किया***

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

गया तथा स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिया, जिसके कारण निर्णय हेतु संचिका सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका।''

संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में यह अंकित किया है कि सहायक श्री कुमार द्वारा प्राप्त न्यायिक आदेश में अंकित निदेश की प्रकृति को गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए अपेक्षित कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं देकर सिर्फ कामचलाउ तरीके (रुटिन वर्क) से संचिका में उपस्थापित किया गया। श्री कुमार के संचिका इस तरह अनमनस्क भाव से उपस्थापित करने के आरोप को प्रमाणित बताया गया।

उक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विभागीय सचिव के स्पष्ट वृतादेश के बावजूद सहायक श्री कुमार द्वारा प्राप्त पत्र (जो न्यायालय से संबंधित था) पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु सचिव के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित नहीं किया गया। सिर्फ पारित न्यायादेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए रूटिन वर्क की तरह अग्रेतर कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मुजफ्फपुर पूर्वी–1 को भेज दी गई। जबकि कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध की उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्रवाई हेतु सचिव का आदेश प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार को चेतावनी तथा एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक– 2249 दिनांक– 18.02.2019 द्वारा श्री कुमार को चेतावनी तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(v) के संगत प्रावधान के आलोक में एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दंड संसूचित एवं अधिरोपित किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री संतोष कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के आधार पर दंड अधिरोपित किया गया है, जो समानुपातिक है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया की *उनके द्वारा दी गई टिप्पणी को प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं*

देश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदित किया गया। जबकि दंड सिर्फ सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी एवं अवर सचिव को ही दिया गया एवं विशेष कार्य पदाधिकारी को ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक– 2544 दिनांक– 23.08.2017 द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया, जो उचित नहीं है।

अपीलार्थी के द्वारा लगाये गये आरोप के अलोक में श्री कमलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी को पक्षकार बनाया गया। श्री कमलेश कुमार सिंह सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए एवं उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बताया गया की श्री सिंह अवकाश पर हैं साथ ही उनके अवकाश आवेदन एवं चिकित्सीय पूर्जा की छायाप्रति समर्पित की गई। चूँकि श्री सिंह को पक्षकार बनाया गया है, अतः बिना उनका पक्ष जाने आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा।

उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस मामले का समीक्षा किया गया एवं विशेष कार्य पदाधिकारी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है का प्रतिवेदन प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को पत्रांक– 2544 दिनांक– 23.08.2017 द्वारा भेजा गया था।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि आरोपित कर्मी के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक– 2249 दिनांक– 18.02.2019 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इस वाद को सामान्य प्रशासन विभाग को **Remand** किया जाता है की इस मामले में सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा किये गये चूक/लापरवाही एवं अधिरोपित दंड की समीक्षा कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।